कार्यवृत्त नीलामी

आज दिनांक 06.06.2024 को बाह्य न्यायालय देवबन्द में भूतल स्थित सभा कक्ष में नीलामी समिति की बैठक हुई, जिसमें श्री विनीत कुमार वासवानी, अध्यक्ष नीलामी समिति/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, देवबन्द, श्री परविन्दर सिंह अपर सिविल जज (सी०डी०),सदस्य नीलामी कमेटी, श्री नितिन सिंह, सिविल जज (जू.डि.) देवबन्द, सदस्य नीलामी कमेटी, उपस्थित आये। श्री संजीव कुमार शर्मा, सदस्य नीलामी कमेटी, कोर्ट मैनेजर सहारनपुर अवकाश पर है ।

नीलामी की कार्यवाही शुरू की गयी, जो इस प्रकार हैः-

बाह्य न्यायालय देवबन्द स्थित प्रतिष्ठानों साईकिल/मोटर साईकिल स्टैंड तथा चाय कैन्टीन की नीलामी हेतु 4.30 बजे तक मुहरबन्द निविदाएं प्राप्त नही हुई है ना ही कोई निविदादाता उपस्थित हुआ, उक्त के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। उक्त सम्बन्ध में दिनांक 10/07/2024 की सांय 05.00 बजे तक सीलबन्द निविदाएं (टैन्डर) आमंत्रित करने का निर्णय किया गया। इस सम्बन्ध में अग्रिम तिथि दिनांक 15/072024 को समय सांय 04.30 बजे मीटिंग हॉल में नियत की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के शेष बचे (09)माह हेतु बाह्य न्यायालय देवबन्द स्थित प्रतिष्ठानों साईकिल/मोटर साईकिल स्टैंड तथा चाय कैन्टीन की नीलामी की न्यूनतम धनराशि एवं जमानत धनराशि निम्न प्रकार है-

क्र.स.	प्रतिष्ठान का नाम	पूर्व में आरक्षित बोली	आरक्षित बोली के अनुसार शेष बची अवधि (09) माह हेतु आनुपातिक न्यूनतम धनराशि	ठेके की जमानत धनराशि जरीये डीडी/चैक
1	चाय कैन्टीन	1,72,000/-	1,29000/-	25,000/-
2	साईकिल स्टैन्ड	2,72000/-	204000/-	30,000/-

प्रत्येक टैन्डरदाता को सील्ड टैन्डर के साथ जमानत धनराशि का डिमान्ड ड्राफ्ट जनपद न्यायाधीश सहारनपुर के पक्ष में संलग्न करना होगा। सफल टेन्डरदाता को शेष धनराशि अन्दर सात दिवस जमा करनी होगी। शेष धनराशि निर्धारित अवधि में जमा न करने पर निविदा-धनराशि जब्त हो जायेगी। अन्य असफल टैन्ड़रदाताओं को जमानत धनराशि का डिमान्ड ड्राफ्ट मूल रूप से वापस कर दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त बैठक में नीलामी हेतु नियम व शर्तों पर विचार विमर्श किया गया तथा नियम व शर्ते निधारित की गयी। उप नाजिर देवबन्द को निर्देशित किया गया कि वह उक्त सम्बन्ध में नियमों व शर्तों का अध्यक्ष नीलामी कमेटी/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, देवबन्द से अनुमोदन कराने के उपरान्त इनके प्रचार-प्रसार हेतु जिला न्यायालय व बाह्य न्यायालय देवबन्द के नोटिस बोर्ड व उप जिलाधिकारी व तहसील दार देवबन्द के नोटिस बोर्ड तथा अन्य दृश्यमान स्थानों पर चस्पा करायें तथा भिन्न- भिन्न तिथियों पर दो स्थानीय समाचार-पत्र व एक राष्ट्रीय समाचार-पत्र में प्रकाशन करायें एवं जिला न्यायालय सहारनपुर के पोर्टल तथा माननीय उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर भी अपलोड़ करायें।

नीलामी की अग्रिम तिथि दिनांक 15/07/2024 नियत की जाती है।

श्री संजीव कुमार शर्मा	श्री नितिन सिंह	श्री परविन्दर सिंह	श्री विनीत कुमार वासवानी
सदस्य,नीलामी कमेटी	सदस्य, नीलामी कमेटी	सदस्य, नीलामी कमेटी	अध्यक्ष, नीलामी कमेटी
कोर्ट मैनेजर,सहारनपुर	सिविल जज(जु०डी०)	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(अवकाश पर हैं)	बाह्य न्यायालय, देवबन्द	बाह्य न्यायालय, देवबन्द	बाह्य न्यायालय, देवबन्द
06.06.2024	06.06.2024	06.06.2024	06.06.2024

Approved.

02/07/2024.

प्रेषक,

7

बाह्य न्यायालय देवबंद, सहारनपुर के एक चाय केन्टीन एव साईकिल/मोटरसाईकिल/स्कूटर स्टैण्ड की नीलामी के नियम एवं शर्तें:–

1. निविदा के साथ निश्चित जमानत धनराशि का डी0डी0 जनपद न्यायाधीश के पक्ष में न होने पर पर निविदाएं निरस्त समझी जाए।
2. समस्त नीलामी बोली दाताओं द्वारा अपनी हैसियत संबंधित तथा अच्छे चरित्र का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. नीलामी स्वीकृत होने से संबंधित ठेकेदार बाह्य न्यायालय देवबंद परिसर में उपलब्ध कराये गये स्थान पर ही अपना कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर के किसी अन्य स्थान पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अविलम्ब ठेका निरस्त करते हुए सम्पूर्ण ठेका धनराशि वसूल किये जाने योग्य होगा।
4. अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा साईकिल/मोटरसाईकिल/स्कूटर इत्यादि के लिये ली जाने वाली धनराशि माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अनुमोदित कराई जाएगी।
5. ठेके के स्थान के लिये किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल या आयकर आदि यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा तथा ठेके का स्थान साफ–सुथा रखा जायेगा।
6. ठेकेदार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ठेका नहीं दिया जायेगा और न ही किराये पर उठाया जाएगा। ठेके की जगह को किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा।
7. ठेकेदार ठेकेदारी के समय यदि कोई वाहन चोरी होता है या पैट्रोल चोरी होता या क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
8. ठेके की अवधि समाप्त अथवा ठेका निरस्त होने पर ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल को शांतिपूर्ण ढंग से तथा पूर्व स्थिति में खाली कर दिया जायेगा।
9. सफल निविदादाता के द्वारा जमानत धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि अन्द्रर 7 दिन जमा न करने पर ठेका स्वतः निरस्त समझा जाएेगा एवं जमानत धनराशि जब्त हो जाऐगी।
10. न्यायालय परिसर में बीडी, सिगरेट एवं गुटका बेचना प्रतिबंधित होगा।
11. नीलामी के संबंध में अंतिम निर्णय माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर का होगा।

23/5/24

दिनांकः– 23.05.2024

(विनित कुमार वासवानी)
अध्यक्ष (नीलामी कमेटी),
अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश,
बाह्य न्यायालय देवबंद, सहारनपुर।